न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 81/2014

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – **1.आहमद 2.जादम पि.सुमार 3.रूमाली**
4.रमदान 5.कचरा पि.नसीर
जाति मुसलमान, निवासी गुमाने का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.गुलाम 2.जुमा 3.सकूर पि.चिनसेर 4.नसीबों पत्नि चिनेसर
5.माहमद पुत्र सुमार 6.नसीर पुत्र रहमतुला 7.धाई पत्नि इनायत
8.मुराद पुत्र नसीर, जाति मुसलमान, निवासी गुमाने का तला
9.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा चौहटन।
10.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री मोहनसिंह सोढ़ा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 19.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी के भूमि मौजा गुमाने का तला, तहसील चौहटन में खसरा सं. 16 रकबा 120.10 बीघा, खसरा सं. 154 रकबा 96.06 बीघा, खसरा सं. 201 रकबा 159.02 बीघा, खसरा सं. 465/203 रकबा 39.01 बीघा, कुल रकबा 414.19 बीघा व मौजा भाडा गुल मोहम्मद में खसरा सं. 99 रकबा 70.16 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 8 को वादग्रस्त उपरोक्त भूमि एस.डी.ओ.बाड़मेर के आदेश डिक्री दिनांक 43/72 दिनांक 31.05.1973 को पारित नामान्तरकरण सं. 56 के जरिये सुमार, नसीर पि.रहमतुला, मामद, जादम, चिनेसर, अहमद पि.सुमार व रमदान, इनायत मुराद, रूमाली, कचरा पि.चिनेसर को प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरकरण के अनुसार प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में सही अंकित किये थे। तत्पश्चात् संधारित जमाबन्दी में प्रार्थीगण के वास्तविक नामों के स्थान पर गलत नामों का इन्द्राज कर दिया। मौजा गुमाने का तला के खसरा सं. 16, 154, 201, 465/203 में प्रार्थी जादम का नाम जामद, रूमाली का नाम करमाली, रमदान का रहमान, कचरा का नाम अचला तथा मौजा भाडा गुल मोहम्मद के खसरा सं. 99 में प्रार्थी आहमद का आदम, रूमाली

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

का रूमाल, रमदान का रामदान गलत अंकित कर दिया जो प्रार्थीगण अपने वास्तविक नाम दुरस्त करवाने के अधिकारी है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार चौहटन को तथ्यात्मक जांच हेतु लिखा गया । तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प गुमाने का तला में पेश हुई। पक्षकार व वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। उपस्थित पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीगण के नाम दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा गुमाने का तला के खसरा सं. 16, 154, 201, 465/203 में प्रार्थी का नाम जामद के स्थान पर जादम, करमाली के स्थान पर रूमाली, रहमान के स्थान पर रमदान, अचला के स्थान पर कचरा तथा मौजा भाडा गुल मोहम्मद के खसरा सं. 99 में प्रार्थी का नाम आदम के स्थान पर आहमद, रूमाल के स्थान पर रूमाली, रामदान के स्थान पर रमदान दुरस्त किया जावे । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प गुमाने का तला में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन